

2022/404

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:-218/2022

तारीखरजू:- 5/12/22

उनवान:- सुबुद्धि बनाम अशोक वगै०
दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
5/12/22	<p>वादी की और से श्री नन्दराम बैरवा एड० ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजीयात स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 06.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p>वादी-वकील/अज्ञेय उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली गतानुसार दिनांक..... पेश हो।</p>
6.1.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 तथा न० 8 की ओर से श्री विष्णु कुमार एस० ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली रहे। शेष प्रतिवादी न० 9 की तामील हो चुकी है। 10 और 11 की तामील होकर प्राप्त नहीं हुई है। बाक़े इंजार् तामील प्रि० साधव ओलम्पिक खेलों में उपस्थित हैं। बाक़े अग्रिम आदेश दिनांक 16.1.23 को पेश हो।</p>
16.1.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 9, 10 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एस० ने वकालतनामा भद्र जबाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। नकल प्रतिवादी वकील को डिलाई गई। एवं प्रतिवादी न० 11 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिप्लॉ सी गई। बाक़े तलबी एवं शेष जबाब पेश करने हेतु दिनांक 24.1.23 को पेश हो।</p>

8424-34

5.12.22

ठाठबर मीना

पिन्डू मीना



फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकील उद्यमपट्टाकावाण
उपस्थित। पुलिसवाडी वकील को जवाब
पेश करने के लिए आदेश दिया
था। वाले जवाब दिनांक 25-11-20 को
पेश है।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित
नहीं था 2 भावाज दिखाई गई इसके
उपरांत श्री प्राची एवं प्राची वकील को
उपस्थित नहीं हुआ। इससे उपर प्राची
पत्र आवासी में चला प्राची एवं प्राची
वकील को आदेश देकर आदेश दिनांक में
द्वारा ज्ञ की जाती है। पत्रावली पेश
हुआ है। नम्बर से कम कर दाखिल
इससे है।